

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को **रु० 30,000/- (तीस हजार रूपए)** तथा पूर्ण स्थायी निःशक्तता में 01 श्रमिक के आश्रित को **रु० 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपए)** एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 05 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को **रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)** प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु **रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए)** तथा दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को **रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)** अर्थात् कुल राशि **रु० 5,55,000/- (पाँच लाख पचपन हजार रूपए)** अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतकों/दावेदारों/कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

08 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सीतामुनी देवी, 45, चुनु राम, अनु० जाति	चुनु राम (पति)	326 18.03. 2026	ग्रा०-कैथहर खुर्द, पो०-सुजायतपुर, थाना+प्र०-राजपुर, जिला-बक्सर मो०-7765863296	7056 0100 0562 00	DBGB, PUNB OMBG B06	50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
2	स्व० चंद्रीप राम, 46, शिवपूजन, अनु० जाति	उर्मिला देवी (पत्नी)	327 18.03. 2026	ग्रा०-सिमरी पट्टी, पो०+थाना+प्र०-सिमरी, जिला-बक्सर मो०-6230453190	4149 9304 889	SBI, SBINO 014330	50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
3	स्व० भुटी राम, 31, अक्षय लाल राम, अनु० जाति	दुर्गा देवी (पत्नी)	328 18.03. 2026	ग्रा०-जगजीवन नगर जासो, पो०+थाना+प्र०-बक्सर, जिला-बक्सर मो०-6391092715	5790 8413 55	CBI, CBINO 281400	50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
4	स्व० लाल बाबु राम, 36, ललन राम, अनु० जाति	ममता देवी (पत्नी)	329 18.03. 2026	ग्रा०+पो०-करह सी, थाना+प्र०-बक्सर, जिला-बक्सर मो०-7292947312	2370 0017 0005 9459	PNB, PUNB 0237000	30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
5	शैलेन्द्र कुमार, 29, सुरेन्द्र कुमार राम, अनु० जाति	शैलेन्द्र कुमार (स्वयं)	330 18.03. 2026 413 तथा 414, 21. 04.2026	ग्रा०-सिमरी दुधौ पट्टी, पो०+थाना+प्र०-सिमरी, जिला-बक्सर मो०-8873372927	3314 0844 371	SBI, SBINO 014330	75,000/- (पचहत्तर हजार रूपए)	पूर्ण स्थायी निःशक्तता, कृषि मजदूर

6	स्व० राजेश राम, 41, जितन राम, अनु० जाति	राज कुमारी देवी (पत्नी)	331 18.03. 2026	ग्रा०+पो०-दलसा गर, थाना+प्र०-बक्सर जिला-बक्सर मो०-887348165 3	3120 8100 0164 02	BOB, BARBO BUXA RX	2,00,000/- - (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु राजमिस्त्र ी का हेल्पर
7	स्व० सोनिया देवी, 45, अरविन्द राम, अनु० जाति	अरविन्द राम, (पति)	334 18.03. 2026	ग्रा०-जवही दियर, पो०-बलुआ, थाना-ब्रह्मपुर, प्र०-चक्की, जिला-बक्सर मो०-829466362 2	1012 0001 0015 8023	PNB, PUNB 01012 00	50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामावि क मृत्यु कृषि मजदूर
8	स्व० सुरज गौड, 19, राधा मोहन गौड, अनु० जनजाति	राधा मोहन प्रसाद (पिता)	347 23.03. 2026 533 तथा 534, 22.05. 2026	ग्रा०+पो०-कसिय याँ, थाना+प्र०-डुमराँ व, जिला-बक्सर मो०-629946162 5	4563 1011 0004 573	BOI, BKID0 00456 3	50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामावि क मृत्यु राजमिस्त्र ी का हेल्पर

कुल रू० 5,55,000/-

(पाँच लाख पचपन हजार रूपए)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

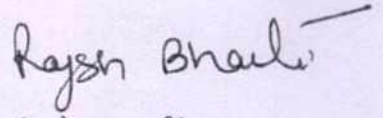
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०स०-25/2025(अंश)-४०४

पटना, दिनांक :- 30/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **कुल रू० 5,55,000/- (पाँच लाख पचपन हजार रूपए)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।


30/06/2026
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक